हम यह भी जानते हैं कि शेड्यूल्ड कास्ट्स में थोड़ी एवेयरनश आई है। उन्होंने थोड़ा फायदा उठाया है लेकिन शैल्डयूल्ड ट्राइब्स फायदा उठाने में पीछे रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी स्टडी होना बहुत जरूरी है।

THE VICE-CHAIRMAN SHRI JOHN F. FERNANDES): Please conclude.

There are three names more.

डॉ० (श्रीमती) उर्मिला चिमनभाई पटेल: महोदय, एक दो प्वाइन्सट कह कर मैं अपना वक्तव्य पूर्ण करना चाहूंगी कि कहीं जनजातियों का विनाश हो रहा है, इसका भी यहां जिक्र किया गया है। ऐसी जातियों को स्पेशल प्रोविजन करके उनके बचाव, सुरक्षा के लिए स्पेशल प्रोग्राम देने चाहिए। सरहदी विस्तारों पर ज्यादातर हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति के विस्तार हैं वहां पर उनको अपर-कास्ट की ओर से, स्टेड इन्टरेस्ट की ओर से एट्रोसीटीज सहनी पड़ती हैं। जो दूसरे त्रासवादी लोग हैं, जो इन्फिलट्रेशन करके आसपास के प्रदेशों से आये हैं तो उन लोगों की एट्रोसिटीज उनको सहनी पड़ती है। इसलिए उनके लिए स्पेशल बजटरी प्रोविजन होना भी जरूरी है। हमारे पास तीन साधान हैं जो अपर कॉमन स्ट्रीम ला सकते हैं। इसमें एक है शिक्षा, दूसरा है आर्थिक स्वावलंबन और तीसरा है पॉलटिशीज्म। मैं पहले दो के बारे में यह कहूंगी कि हमारा प्रोग्राम टाइम बाउन्ड होना चाहिए। कामन स्ट्रीम में उनके एज्युकेशन के लेवल को बढ़ाने में पांच साल पहले पंचवर्षीय योजनाएं बनाकर हर साल पांच परसेंट ज्यादा लोग पढ़े। इसी प्रकार की प्लानिंग हो।

जो गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले लोग हैं। केलकुलेशन के मुताबिक 14 परसेंट लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। लेकिन 14 परसेंट लोगों में से 90 परसेंट अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं। इनके लिए स्पेशल आर्थिक स्वावलंबन की योजना है उसका भी हम टाइम बाउन्ड प्रोग्राम करें कि पांच साल में इस योजना में इतना काम करके, इतने लोगों के गरीबी रेखा से बाहर लाएं। अगर टाइम बाउन्ड प्रोग्राम नहीं होगा तो चाहे कितनी ही अच्छी योजनाएं हों, उसके लिए कितने ही पैसे का प्रावधान हो अगर पचास सालों में इन लोगों के लिए खर्च किया, इसका हम एकाउन्ट निकालें तो हम देख सकते हैं कि जो रुपया हमने खर्च कर दिया है, लेकिन जिसको वहां तक पहुंचना है, वह वहां तक नहीं पहुंचा है। जो लोएस्ट अमंग दॉ लोअर है, वहां तक यह मदद नहीं पहुंची है। जो उनका क्रीमी लेयर है, वहां तक यह मदद पहुंच कर रुक जाती है। या एडमिनिस्ट्रेशन में या पगार में या और किसी मद में यह पैसा खर्च हो जाता है और गरीब लोगों की गरीबी हटाने के काम में नहीं आता है। उसी तरह से इन्दिरा आवास योजना है, कुटीर ज्योति योजना है उनके द्वारा यदि बीच का कनेक्शन उनके वहा पहुंचेगा तो सेल्फ इम्पलायमेंट के उनके रास्ते ज्यादा खुलेंगे। इसके लिए भी पांच साल का टाइम बाऊंड प्रोग्राम बनाना जरूरी है। मैं यह कहना चाहूंगी

अगर यह नहीं हुआ तो कभी भी यह कम्युनिटीज़ आगे नहीं आ पाएंगी।

MESSAGE FROM THE LOK SABHA

The Export-Import Bank of India (Amendment) Bill, 1998.

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:—

> "In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Export-Import Bank of India (Amendment) Bill, 1998, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 2nd December, 1998."

SECRETARY-GENERAL: Sir, I lay the Bill on the Table.

THE MINISTER OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (SHRI RAM JETHMALANI): Mr. Vice-Chairman, Sir, I have some difficulty to share with the House and with you. This item cannot be completed today because the Minister is going to reply on Monday.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN F. FERNANDES): There are only three or four speakers now.

SHRI RAM JETHMALANI: Sir, at 5 o'clock we have the Minister's statement. This Bill will require only ten minutes. It is a purely technical, non-controversial measure. This has to go to the other House. Unless this Bill is passed, some

litigation in the Delhi High Court will be held up. The Judges are anxious.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN F. FERNANDES): I have to take the sense of the House.

SHRI RAM JETHMALANI: It will not take more than ten minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN F. FERNANDES): I have to take the sense of the House. If the House so permits, I can allow you. But I have a problem. I am one of the speakers. I am going to intervene in this Bill. You please wait for two minutes.

GOVERNMENT MOTION

Re: Thirtieth Report of the Commissioner for Schedules Castes and Scheduled Tribes for the Year 1989-91 Contd.

श्री राम नाथ कोविन्द (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष जी, समाज का वह वर्ग जो सदियों से उपेक्षित और वंचित रहा, जिसको हमने अनुसूचित जाति और जनजाति की संज्ञा दी, इस वर्ग को समाज के दूसरे वर्गों के समकक्ष लाने के लिए संविधान में हमने आरक्षण का प्रावधान किया। वह आरक्षण विधायिका और सरकारी नौकरियों के लिए था। उपसभाध्यक्ष जी, पिछले कई वर्षों से इस आरक्षण के लाभ को निष्प्रभावी बनाने की साजिश चल रही है और उस साजिश का मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। तथाकथित सामाजिक न्याय का दावा करने वाली सरकार, यूनाइटेड फ्रंट सरकार के कार्यकाल के दौरान वर्ष 1997 में भारत सरकार के पर्सनल एवं ट्रेनिंग विभाग द्वारा 5 आफिस मेमोरेंडम जारी किये गये। यह आफिस मेमोरेंडम दिनांक 30 जुलाई, 1997, 2 जुलाई, 1997, 22 जुलाई, 1997, 13 अगस्त, 1997 और 29 अगस्त, 1997 को जारी किये गये। इन आफिस मेमोरेंडम्स के बारे में कल भी चर्चा हुई थी और दो तीन आफिस मेमोरेंडम्स पर विस्तृत चर्चा हुई थी। एक आफिस मेमोरेंडम दिनांक 13.8.97 को जारी किया गया। भारत की संसद् ने संविधान में 77वां संशोधन किया, उसके तहत आर्टिकल 16(4)(ए) को जोड़ा गया। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आर्टिकल 16(4)(ए) को उद्धृत करना चाहूंगा—

> "Nothing in this article shall prevent the State from making any provision for reservation in matters of promotion to any class or classes of posts...."

Sir, I lay emphasis on the words "any class or classes of posts".

> "....in the services under the State in favour of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes which in the opinion of the States, are not adequately represented in the services under the State."

सर, जो डी०ओ०पी०टी० ने 13.8.97 को आफिस मेमोरेंडम जारी किया उसके माध्यम से उन्होंने कहा— Reservation in promotion shall be restricted only up to the lowest rung of Group 'A' services.

उपसभाध्यक्ष जी, संसद में जो एक हमने कानून बनाया उस कानून के बिल्कुल विपरीत उन्होंने यह मेमोरेंडम जारी किया। This Office Memorandum is not in consonance with the Cosntitution amendment which was passed by this House.

सर, एक कहावत है "मैन प्रोपोजेज एण्ड गाड डिसपोजेज"। लेकिन इस केस में तो ऐसा हुआ है कि "पार्लियामेंट प्रोपोजेज बट द ब्यूरोक्रेसी डिसपोजेज"। जो कुछ यहां पर किया गया उसके विपरीत यह कानून बना और उसके तहत आज स्थिति यह है कि प्रोमोशंस में आरक्षण पूरी तरह से बंद हो गया।

उपसभाध्यक्ष जी, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था सिंडीकेट बैंक मैटर में दिनांक 10.8.90 को जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा था— Reservation has been made available for promotions for Group 'A' posts up to the highest level.

—इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के भी विपरीत यह मेमोरेन्डम है।

उपसभाध्यक्ष जी, इस देश में करीब 40 लाख अनुसूचित जाति और जनजातियों के कर्मचारी है जो कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि इस वर्ग के लोग अब जागरूक हो चुके हैं। इस वर्ग को रिप्रेजेंट करने वाली जो एक संस्था है "आल इंडिया कंफेडरेशन आफ शड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड ड्यूल्ड ट्राइब्स आर्गेनाइजेशंस, उनके बैनर के तहत मेजर सिटीज में रैलीज हुई—इन आफिस मेमोरेंडम के खिलाफ पिछले अभी 16 नवम्बर, 1998 को जिसमें करीब 2 लाख कर्मचारियों ने भाग लिया, दिल्ली में एक